CLR No. : 11090173993

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: बिनौरी			पटवारी हल्का: बनौरी			तहसील: घंसा◌ैर			जिला: सिवनी		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अधियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1569696186 80KNABDD08C9H0	360/2 (S)		8.2400 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0053/ब-121/2020-21 एवं आदेश दिनांक24/02/2022के अनुसार दिनांक 26/12/2023 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0053/ब-121/2020-21, आदेश दि. 04/01/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। ईमारती लकडी एंव ईंधन हेतु 14.81 हे० में से 8.24 हे0 भूमि वन विभाग को हस्तांतरित

लोकसेवा केन्द्र
घंसौर
जिला-सिवनी (म.प्र.)

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2024.01.06 13:03:24 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11090173993

राजस्व आदेश-पत्र अनुवृत्ति पत्र

53(अ)-121/20-21

1	2	3
24/02/2022	1-प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी घंसौर से प्राप्त । 2-प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि महाप्रबंधक म0प्र0 जल निगम के पत्र कमांक 1527/महा0प्र0/म0प्र0ज0नि मर्या0/परि0क0/2020 दिनांक 18/12/2020 अनुसार लेख किया है कि म0प्र0 जल निगम मर्यादित, परियोजना कियान्वयन इकाई जबलपुर द्वारा जबलपुर,नरसिंहपुर एवं सिवनी जिले के 659 ग्रामो को पेयजल प्रदाय हेतु "पायली ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना" का कियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वनक्षेत्र में सडक के किनारे ROW में पाईप लाईन बिछाने हेतु वन विभाग की भूमि प्रभावित हो रही है । वन विभाग की भूमि प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव आनलाईन कर दिया गया था किन्तु वन विभाग द्वारा रकबा 4.12 हे0 भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया था । 2-महाप्रबंधक के पत्र पर अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार से जांच उपरांत म0प्र0 शासन की महत्वपूर्ण "पायली ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना" के परिप्रेक्ष्य में वन विभाग को रकबा 4.12 हे0 भूमि ग्राम बंदम ह0न0 48 रा0नि0मं0 48 रा0नि0मं0 घंसौर तह0 घंसौर खसरा नंबर 360 रकबा 72.07 हे0 मे से रकबा 4.12 हे0 भूमि को खसरे के कालम 12 में दर्ज करने हेतु आदेशित किया कर दिया गया था । किन्तु उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर अतिकमण होने तथा वन विभाग द्वारा नही लिये जाने के कारण पुनः कार्यालय वनमण्डल अधिकारी उत्तर सिवनी वनमण्डल सिवनी के पत्र कमांक 264 दिनांक 21/2/2022 में उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त ग्राम बिनौरी की शासकीय भूमि खसरा नंबर 360 रकबा 8.24 हे0 उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया । 3-आबंटित भूमि के अतिरिक्त अन्य ग्राम बिनौरी ह0न0 49 रा0नि0मं0 घंसौर तह0 घंसौर स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 360 के संबंध में पुनः तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी घंसौर से परीक्षण कराया गया । अनुविभागीय अधिकारी घंसौर द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 23/2/2022 में मुख्य रूप से लेख किया है कि प्रश्नाधीन भूमि वन विभाग को आबंटित किये जाने हेतु किसी को कोई आपत्ति नही है भूमि मौके पर रिक्त है किसी का कोई अतिकमण नही है मौके का निरीक्षण भी वन विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है । वन विभाग से प्रश्नाधीन भूमि लिये जाने हेतु अपनी सहमती दी है । अतः म0प्र0 शासन की महत्वपूर्ण "पायली ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना" के परिप्रेक्ष्य में वन विभाग को पूर्व में आबंटित भूमि ग्राम बंदम खसरा नंबर 360 रकबा 4.12 का आबंटन निरस्त करते हुए ग्राम बिनौरी ह0न0 49 रा0नि0मं0 घंसौर तह0 घंसौर स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 360 रकबा 14.81 हे0 मेसे 8.24 हे0 भूमि हस्तान्तरण करते हुए खसरे के कालम 12 में दर्ज करने एवं ग्राम बंदम का राजस्व अभिलेख यथावत करने हेतु आदेशित किया जाता है। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी घंसौर को राजस्व अभिलेख सुधार हेतु वापस भेजा जावे । कलेक्टर सिवनी अनुविभागीय अधिकारी घंसौर	